राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2592/2024

विनोद कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, स्थानीय निकाय, जी–3, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2024
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रघुनन्दन शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को नगर पालिका, जोबनेर के अध्यक्ष द्वारा 19–12–1992 को दैनिक वेतन भोगी के रूप में इलेक्ट्रीशियन (वायरमैन) के पद पर नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाएं 01–02–1994 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। समाप्ति से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने औद्योगिक विवाद उठाया, जिसे निर्णय के लिए श्रम न्यायालय संख्या 1 जयपुर को भेजा गया था। श्रम न्यायालय संख्या 1, जयपुर ने एलसीआर संख्या 34ध्2000 के तहत विवाद को पंजीकृत किया और सुनवाई शुरू की। विद्वान श्रम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद, दिनांक 05–12–2005 को पुरस्कार पारित किया, जिसके तहत अपीलार्थी की समाप्ति को अवैध और शून्य घोषित किया गया, इस प्रकार उसे रद्द कर दिया गया, और उसे सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–2) श्रम न्यायालय संख्या 1 के विद्वान न्यायाधीश द्वारा एलसीआर संख्या 34/2000 में पारित दिनांक 05.12.2005 के निर्णय से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4161/2006, नगर पालिका बनाम विनोद कुमार, शीर्षक से दायर किया। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, माननीय न्यायालय ने दिनांक 14.9.2006 को निम्नलिखित आदेश पारित किया। अपीलार्थी को प्रस्ताव संख्या 3 बैठक दिनांक

13.12.2006 के अनुसरण में सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया था, इस संबंध में आदेश संख्या 2436 दिनांक 03.2.2007 पारित किया गया था। उसकी बहाली रिट याचिका संख्या 4161/2006 के परिणाम के अधीन थी। आदेश दिनांक 3.2.2007 के अनुसरण में, अपीलार्थी ने 07.2.2007 को कार्यभार ग्रहण किया। सेवाओं के नियमितीकरण के लिए, अपीलार्थी ने विनोद कुमार बनाम नगर पालिका शीर्षक से एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3715/2011 दायर की, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने प्रतिवादियों को हलफनामा प्रस्तुत किया कि उसे स्थायी घोषित किया जाएगा तो उसके द्वारा रिट याचिका वापस ले ली जाएगी। नगर पालिका जोबनेर में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अभ्यर्थियों के मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। अपीलार्थी की उम्मीदवारी की जांच के बाद, जांच समिति ने दिनांक 12.1.2012 की अपनी बैठक में अपीलार्थी के मामले को वर्ष 2011–12 के लिए सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर नियुक्तध्पदोन्नत करने की मंजूरी लेने की सिफारिश की और साथ ही अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 07.2.1994 से दिनांक 06.2.2007 को बहाल होने तक जारी रखने की भी सिफारिश की, ताकि अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या एसबीसीडब्ल्यूपी 3715/2011 विनोद कुमार बनाम नगर पालिका और एसबीसीडब्ल्यूपी 4161/2006 शीर्षक नगर पालिका बनाम विनोद कुमार पर निर्णय लिया जा सके। (अनुलग्नक–3) उप निदेशक, प्रशासन निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर ने दिनांक 2.5.2012 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जोबनेर को पत्र लिखकर, विभागीय अधिसूचना संख्या 13868 दिनांक 16.5.2011 के अनुसरण में विनोद कुमार वायरमैन, सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर, की सेवाओं को नियमित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। (अनुलग्नक–4) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल, जोबनेर ने कार्यालय आदेश दिनांक 18.5.2012 जारी किया, जिसके तहत आधिकारिक अधिसूचना के अनुसरण में और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सहायक विद्युत के पद के लिए उपयुक्त पाए जाने पर निरीक्षक, अपीलार्थी को दिनांक 12.1.2012 की स्क्रीनिंग के अनुसरण में सहायक विद्युत निरीक्षक के रिक्त पद पर स्थायी किया गया तथा वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 पर रखा गया। (अनुलग्नक–5) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल ने दिनांक 24.7.2013 को संशोधित आदेश जारी किया, जिसके द्वारा दिनांक 18.5.2012 के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वेतनमान 5200–20200 ग्रेडपे 2400 में रखा गया तथा तदनुसार वेतन 12.1.2012 से 7440़2400 9840 निर्धारित किया गया। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 3715ध्2011 दिनांक 06.11.2012 को वापस ले ली है। (अनुलग्नक–7) दिनांक 7.2.1994 से दिनांक 6.2.2007 तक की सेवाओं को (पुनर्स्थापित) की तिथि तक जारी सेवाएं मानते हुए स्वीकृत करने की अनुशंसा की

गई थी, अतः चयन ग्रेड का लाभ तथा अन्य लाभ जैसे पेंशन लाभ आदि की सेवाओं की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 19.12.1992 से की जानी चाहिए, लेकिन प्रत्यर्थियों ने 12.1.2012 की सेवाओं की गणना करके चयन ग्रेड का लाभ दिया। प्रत्यर्थियों ने प्रथम चयन ग्रेड का लाभ आदेश दिनांक 21.012.2022 द्वारा दिनांक 19.12.1992 से दिया। (अनुलग्नक–8) चयन ग्रेड देने के लाभ के लिए पिछली सेवा की गणना न करते हुए, अपीलार्थी ने प्रतिवादियों को दिनांक 26–12–2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए, अपीलार्थी ने न्याय की मांग के लिए अपने वकील के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस दिनांक 04.03.2024 को भेजा, जो प्रतिवादियों को ठीक से दिया गया, लेकिन न्याय की मांग के लिए अनुत्तरित रहा। प्रतिवादियों की निष्क्रियता और अवैध कार्रवाई से व्यथित होकर, जिसके तहत अपीलर्थी की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी 19.12.1992 से चयन ग्रेड 9,18 और 27 के लाभ के लिए नियमित सेवा नहीं मानी गई और पेंशन लाभ की गणना की गई और 21–12–2022 के आदेश के खिलाफ, जिसके तहत 12.1.2021 से प्रथम चयन ग्रेड का लाभ दिया गया, अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है जिसका नंबर एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4934/2024 है जिसका शीर्षक विनोद कुमार शर्मा बनाम निदेशक, स्थानीय निकाय है। माननीय उच्च न्यायालय ने 18–07–2024 के आदेश को पारित किया है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अपनी शिकायत के निवारण के लिए कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं। रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी तदनुसार निपटारा कर दिया गया है। (अनुलग्नक–10)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 04–03–2024 को भेजे गए कानूनी नोटिस पर निर्णय लिया जावे एवं दिनांक 21–12–2022 के आदेश को निरस्त किया जावे, जिसके तहत 12.1.2021 से प्रथम चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख अर्थात 19.12.1992 से चयन ग्रेड 9,18 और 27 के लाभ के लिए नियमित सेवा की जाए और पेंशन संबंधी लाभों की गणना की जाए। इसके अलावा प्रतिवादियों को 19.12.2001 से प्रथम चयन ग्रेड और 19.12.2010 से द्वितीय चयन ग्रेड तथा 19.12.2019 से तृतीय चयन ग्रेड का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिए जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नगर पालिका जाबनेर में दिनांक 19.12.1992 को दैनिक भोगी के रूप में नियुक्त किया गया एवं उसकी सेवाएं आदेश दिनांक 01.02.1994 द्वारा समाप्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय प्रथम जयपुर में श्रम विवाद सं LCRNO 34/2000 दायर किया, जिसमें विचारण के पश्चात अवार्ड दिनांक 05.12.2005 पारित किया जिसमें अपीलार्थी के सेवा समाप्ति को उचित एवं वैध नहीं माना एवं निम्न अवार्ड पारित कियाः—

10 अतः रेफरेंस का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है किः—

''श्रमिक विनोद कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा को विपक्षीगण द्वारा 01.02.94 से सेवा मुक्त किया जाना उचित एवं वेध नहीं है, उसे सेवा में नियोजित किया जाता है, इसकी सेवा के निरंतरता कायम रखी जाती है मगर इसे पिछला वेतन नहीं दिलाया जाता है।''

इस अवार्ड के विरूद्ध नगर पालिका जोबनेर ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4161/2006 नगरपालिका बनाम विनोद कुमार प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 14.09.2006 में निम्न आदेश पारित कियाः—

"The Application is accordingly allowed. The petitioners are directed to reinstate the respondent/workman which shall be subject to the decision of the petition"

इस रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4161/2006 की वर्तमान स्थिति के संबंध में उभय पक्षों ने कोई कथन नहीं किया एवं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.05.2011 (राजपत्र के प्रकाशन दिनांक 06.06.2011) के तहत नगर पालिका जोबनेर में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2012 द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार कर निम्न निर्णय लियाः—

''अतः कमेटी सर्वसम्मति से श्री विनोद कुमार शर्मा को शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता व अनुभव के आधार पर सहायक विद्युत निरीक्षक के पद के योग्य मानते हुए उपयुक्त घोषित करती है। नियमित नियुक्ति दिये जाने हेतु श्री विनोद कुमार शर्मा की सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर कार्यानुभव के आधार पर योग्यता प्राप्ति के कमेटी के निर्णय का अनुमोदन करते हुए आवश्यक तकनीकी योग्यता में शिथिलता लेने वर्ष 92—93 से वर्ष 10—11 तक नगरपालिका में वायरमैन का छाया पद स्वीकृत करते, वर्ष 11—12 में नगरपालिका द्वारा सृजित सहायक विद्युत निरीक्षक पद की स्वीकृति लेने तथा सेवा पृथक दिनांक 7.2.94 से सेवा बहाली तिथि 6.2.07 तक की सेवा को निरन्तर मानने हेतु राज्य सरकार से अपेक्षित स्वीकृति ली जावे। जिससे माननीय उच्च न्यायायल में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 3715/11 विनोद कुमार बनाम नगरपालिका एवं रिट

याचिका संख्या 4161/06 नगरपालिका बनाम विनोद कुमार का निस्तारण भी हो सकेगा। इस हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जावे।''

प्रकरण में स्थानीय निकाय विभाग ने पत्र दिनांक 02.05.2012 द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.05.2011 के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात नगर पालिका जोबनेर ने आदेश दिनांक 18.05.2012 द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर स्क्रीनिंग दिनांक 12.01.2012 द्वारा नियमित की गई एवं उसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 12.01.2012 से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन नियत किया गया। अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका जोबनेर को उसकी सेवाएं नियमित करने की दशा में उसके द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3715/2011 को विड्रा करने की अंडरटेकिंग दी गई थी एवं उक्त कार्यवाही के पश्चात अपीलार्थी ने उक्त रिट याचिका विड्रा कर ली। अपीलार्थी को उसकी सेवाएं नियमितीकरण दिनांक 12.01.2012 से 9 वर्ष की सेवाएं पूरी होने पर प्रथम एसीपी आदेश दिनांक 21.12.2022 द्वारा स्वीकृत की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 26.12.2022 को अध्यक्ष नगर पालिका जोबनेर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उसकी सेवाएं प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.12.1992 से नियमित मानने एवं उसके अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ चाहा है। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अन्य कर्मचारियों को जारी स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किए है।

प्रकरण में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी। वित्त विभाग द्वारा चयनित वेतनमान/एसीपी के सम्बन्ध में जारी आदेशों में यह स्पष्ट है कि चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ नियमित नियुक्ति या नियमितीकरण की तिथी से देय होगा। अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 18.05.2012 द्वारा 12.01.2012 से नियमितकरण की गई है। अतः उससे पूर्व की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाएं चयनित वेतनमान/एसीपी की गणना में मानी नहीं जा सकती। अपीलार्थी द्वारा उसके नियमितीकरण आदेश दिनांक 18.05.2012 को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में चयनित वेतन की गणना सेवा नियमितीकरण तिथी से ही की जानी है। स्क्रीनिंग कमेटी के कार्यवाही विवरण से यह स्पष्ट है कि नगर पालिका जोबनेर में वर्ष 1992–93 से वर्ष 2010–11 तक वायरमेन का पद सृजित नहीं था एवं वर्ष 2011–12 में नगर पालिका द्वारा सृजित सहायक विद्युत निरीक्षक के पद की राज्य सरकार ने स्वीकृति लेने हेतु निर्णय लिया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह स्थापित नियम है कि पद की उपलब्धता के अभाव में किसी की नियुक्ति या सेवाओं का नियमितीकरण संभव नहीं है। इसके लिए पद का स्वीकृत एवं रिक्त

होना अनिवार्य है। अतः हमारा यह मानना है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियम सम्मत एवं सही है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष